न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

C.F. Rs. 20/-

R-3763-III/14

1. शिवेन्द्र सिंह तनय श्री बृजेन्द्र सिंह
2. बृजेन्द्र सिंह तनय चन्द्रबली सिंह,
3. बीरेन्द्र सिंह तनय चन्द्रबली सिंह

सभी निवासी ग्राम मझगवां, तहसील सिरमौर, जिला रीवा(म.प्र.)

-----आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गंगा सिंह तनय इन्द्रजीत सिंह
2. रविनंदन सिंह तनय इन्द्रजीत सिंह
3. मुस. सूरज सिंह बेवा पत्नी सूर्यवली सिंह
4. भारत सिंह पिता सूर्यवली सिंह
5. कुजबिहारी सिंह पिता सूर्यबली सिंह
6. सत्रुध्न सिंह पिता सूर्यवली सिंह

सभी निवासी ग्राम मझगवां तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

-------अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

श्री. देवेन्द्र द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 13-X-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3443 आज 29-10-14 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1441/अपील/2005-06 मे पारित दिनांक 20/01/2014

आवेदन पत्र विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. आर-875-III/2014 मे पारित आदेश दिनांक 13/08/2014 को पुर्नस्थापित किये जाने अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुर्नस्थापन के आधार निम्न है।

1. यह कि आवेदकगणो निगरानीगर्तागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/03/ 2014 के आदेश द्वारा निगरानी ग्राहय की जाकर निगरानी की सनवाई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3768-III/14 जिला रीवा

शिवेन्द्र सिंह वगैरह/गंगा सिंह वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15-	1. प्रकरण कायमी पर आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी–राजू तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री बद्री सिंह उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि प्रकरण क्रमांक R-875-III/14 अदम पैरवी दिनांक 13.08.2014 को पुर्नस्थापन बावत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि प्रकरण क्रमांक R-875-III/14 में दिनांक 26.03.14 को निगरानी ग्राह्य की जाकर आगामी दिनांक तक अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 20.01.14 का क्रियान्वयन स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया गया था तथा अनावेदकगणों को सूचना एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाये जाने का आदेशित किया गया। 4. प्रकरण में पेशी दिनांक 22.07.14 को अगली पेशी दिनांक 17.09.14 को दी गई तथा इसी दिनांक 22.07.14 को अनावेदक अभिभाषक को पेशी तारीख 13.08.14 दी गयी। चूँकि आवेदक पेशी दिनांक 13.08.14 को सूचित नहीं रहा और न ही सूचना दी गयी। इस कारण पेशी दिनांक 13.08.14 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अतः प्रकरण पुर्नस्थापित किया जावे। अनावेदक अभिभाषक द्वारा पुर्नस्थापित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्रकरण पुर्नस्थापित किये जाने पर सहमति दी गयी। 5. अतः प्रकरण क्रमांक R-875-III/14 पुर्नस्थापित किया जाता है। प्रकरण अगली पेशी पर लगाया जावे। 6. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य 28.9.15	